फर्द अहकाम

न्यायालय ADM - J.R.

आम जनता गण्डा सिंह बनाम राज. सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष : 34 / 2024

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22.02.2024	[illegible] (ग्रुप-I) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवसृजित जिला जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किया गया है जिला कलक्टर जयपुर ग्रामीण के आदेश दिनांक 23.08.2023 की पालना में पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। वकील [illegible] उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली पेश हुई। पूर्व में पत्रावली दिनांक 2.5.24 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)
	2-5-24	श्रीमान कलक्टर जयपुर के आदेश 437 दि० 1-5-24 के क्रम [illegible] उपस्थित। [illegible] P.O. अवकाश [illegible] पत्रावली [illegible] 16-5-24 पेश हो।
	16.5.24	पत्रावली पेश हुई। अधि० अपीलांट अनुपस्थित। लम्बे समय से रेगुलर कंजेटिस पेश नहीं किये जा रहे है एक अन्तिम अवसर आपहित में दिया जाता है पत्रा० दि० 30.5.24 को पेश हो।
	30.5.24	पत्रावली पेश हुई। अधि० अपीलांट [illegible] उपस्थित। सुना गया। अधि० अपीलांट ने सम्बन्धित प्रकरण में अपर न्यायालय से अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित होना बताते हुए प्रस्तुत न्यायालय की अपील को विड्रा किये जाने हेतु निवेदन किया और इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। साथ ही पत्रा० पर विड्रा करने का जोर अंकित किया है। अतः न्यायहित में अपील विड्रा करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए पत्रा० पुनः पेश करने की छूट प्रदान करते हुए दी जाती है तदनुसार पत्रा० के सल शुमार चेक रजिस्टर से कम की पत्रा० बाद तकमील तस्दीक दाखिल दफ्तर हो।